

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 25/2017 अपील

- |                                                |      |                                                     |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1. रघुवीर पिता जनसिया कंजर निवासी सुभाषनगर     | बनाम | राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा |
| 2. श्री प्रभु पिता जनसिया कंजर निवासी सुभाषनगर |      |                                                     |
| 3. सुरजमल पिता जनसिया कंजर निवासी सुभाषनगर     |      |                                                     |
- तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

— रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले

प्रकरण सं0 1138/2016 निर्णय दिनांक 15.11.2016

उपस्थित –

1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोजेण्ट की ओर से



निर्णय

दिनांक 27.03.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें प्रकरण सं. 1138/2016 निर्णय दिनांक 15.11.2016 के खिलाफ दिनांक 24.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोजेण्ट ने ग्राम पीपलून्द की आराजी सं. 3005/2332 रकबा 7.00 बीघा भूमि से शास्ति लगान 7.00 का 50 गुणा 350/-रुपये जुर्माना व 15 दिन के कारावास का निर्णय विरुद्ध अपीलार्थी के पारित करने में कानूनी भूल की हैं। तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट के दिनांक 15.11.2016 को सम्मन जारी किया एवं वक्त सुनवाई अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की सूचना नहीं दी गई, न ही आगामी तारीख बताई गई, केवल जुर्माने के लिए कहा। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पटवारी के बयान लिये तथा रिकार्ड के साबित कराये बिना अपीलाण्ट को दोषी मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की हैं। अपीलाण्ट गरीब काशतकार हैं। आजीविका का साधन केवल कृषि भूमि हैं। उक्त आराजी पर अपीलाण्ट का पीढी दर पीढी कब्जा हैं। अपीलाण्ट के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया, जिस पर दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा (राज.)

09.01.2017 को पुलिस वाले गिरफ्तार करने आये तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपील वक्त जानकारी अन्दर मियाद पेश हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर दिनांक 15.11.2016 का निर्णय निरस्त फरमाने की आज्ञा प्रदान करावें। अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जो कमशः तेजा बनाम सरकार आर आर टी 2009(2), मोहननाथ बनाम सरकार 2006-07 आर आर टी 33, प्रहलाद बनाम सरकार आर आर टी 2003(1), गोपाल बनाम सरकार एडीएम भीलवाडा, भागुता बनाम सरकार एडीएम भीलवाडा हैं।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.01.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये जाने हेतु दिनांक 31.01.2017 को पत्र लिखा गया, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ।

आज दिनांक 27.03.2017 को अपीलार्थीगण अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीपलून्द की आराजी सं. 3005/2332 रकबा 7.00 बीघा भूमि से शास्ति लगान 7.00 का 50 गुणा 350/-रूपये जुर्माना व 15 दिन के कारावास का निर्णय विरुद्ध अपीलार्थी के पारित करने में कानूनी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया। अपीलाण्ट ने अपील के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीपलून्द तहसील जहाजपुर की आराजी सं. 3005/2332 रकबा 7.00 बीघा भूमि से कब्जा छोड़ दिया है व अब कोई कब्जा नहीं है, न भविष्य में करेंगे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर दिनांक 15.11.2016 का निर्णय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सर्वप्रथम अपील में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पटवारी हल्का पीपलून्द द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध ग्राम पीपलून्द तहसील जहाजपुर की आराजी नं० 3005/2332 रकबा 7.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 350/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पटवार

हल्का पीपलून्द की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिकमी को बिना सुने निर्णय पारित किया जाना बताया हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के परीक्षण से यह पाया जाता है, कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पटवारी के बयान लिये तथा रिकार्ड के साबित कराये बिना अपीलान्ट को दोषी मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की हैं। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीपलून्द तहसील जहाजपुर की आराजी सं. 3005/2332 रकबा 7.00 बीघा भूमि से कब्जा छोड़ दिया हैं व अब कोई कब्जा नहीं हैं, न भविष्य में करेंगे। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के संबंध में तहसीलदार जहाजपुर स्वयं अतिकमणसुदा भूमि का मौका निरीक्षण कर यह सत्यापन करे कि अतिकमी रघुवीर, प्रभु, सुरजमल पिता जनसिया कंजर निवासी सुभाषनगर तहसील जहाजपुर द्वारा ग्राम पीपलून्द तहसील जहाजपुर की आराजी सं. 3005/2332 रकबा 7.00 बीघा अतिकमणसुदा भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया हैं या नहीं, यदि उक्त आराजी व क्षेत्रफल से अपीलार्थी /अतिकर्मी द्वारा मौके से अतिकमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 15 दिन के सिविल कारावास की सजा माफ की जाना न्योयोचित है और अधीनस्थ न्यायालय का अन्य आदेश यथावत रहने योग्य हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण सं. 1138/2016 को तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त होने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव—

### आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 1138/2016 निर्णय दिनांक 15.11.2016 को अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार जहाजपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण सं. 1138/2016 में अतिकमी रघुवीर, प्रभु, सुरजमल पिता जनसिया कंजर निवासी सुभाषनगर तहसील जहाजपुर द्वारा ग्राम पीपलून्द तहसील जहाजपुर की आराजी सं. 3005/2332 रकबा 7.00 बीघा भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया हैं या नहीं उसका सत्यापन स्वयं करें। यदि उक्त आराजी व क्षेत्रफल से अपीलार्थी /अतिकर्मी द्वारा मौके से अतिकमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 15 दिन के सिविल कारावास की सजा माफ की जाती हैं व अन्य आदेश यथावत रहेगें। यदि अतिकमण हटाया जाना प्रमाणित नहीं होता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 1138/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2016 यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.आर.गुगरवाल)

अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा